संख्या– 692/अड़तीस–5–14–67सम/2007 (1)

प्रेषक,

सुधीर कुमार श्रीवास्तव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊ दिनॉक 01 जुलाई 2014

विषयः–राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1662/अड़तीस–5–2013–67सम/2007, दिनांक 19 जुलाई, 2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पाइप पेयजल योजनाओं के त्वरित कियान्वयन एवं ग्रामवासियों में स्वामित्व की भावना विकसित करने के दृष्टिगत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति में सामान्य परिवार द्वारा रू0 450.00 (रूपये चार सौ पचास मात्र) तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/बी0पी0एल0 परिवारों से रू0 225.00 (रूपये दौ सौ पच्चीस मात्र) प्रति परिवार अपफ्रन्ट अंशदान देने वाले ग्रामों/ मजरों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने में प्राथमिकता दिए जाने के प्राविधान किये गये थे।

2– शासन के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 19 जुलाई, 2013 के अनुकम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पाइप पेयजल योजनाओं के त्वरित कियान्वयन एवं ग्रामवासियों में स्वामित्व की भावना विकसित करने के दृष्टिगत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति में सामान्य परिवार द्वारा रू0 450.00 (रूपये चार सौ पचास मात्र) तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/बी0पी0एल0 परिवारों से रू0 225.00 (रूपये दौ सौ पच्चीस मात्र) प्रति परिवार अपफ्रन्ट अंशदान देने वाले ग्रामों/ मजरों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित ग्राम पंचायत से पास होकर प्राप्त होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा आगणन तैयार करके प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्कीम सैंक्सनिंग कमेटी (एस0एल0एस0एस0सी0) के समक्ष विचारार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

3– ग्रामीण पेयजल से सम्बन्धित एस0एल0एस0एस0सी0 के अनुमोदनोपरान्त प्रश्नगत पाइप पेयजल योजना पर निर्माण कार्य शुरू करने के पूर्व जन सहभागिता की धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वी0डब्लू0एस0सी0) के खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। जनसहभागिता की धनराशि ग्राम्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति के खाते में जमा कराये जाने के प्रमाण प्राप्त होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त स्वीकृत योजना पर धनराशि की मांग की जायेगी तथा धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। जनसहभागिता के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग / व्यय

---2

D:\J Joshi\201-RC.K.Shukla\GO-2014.docx

ग्राम्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा पाइप पेयजल योजना के रखरखाव हेतु किया जायेगा।

भवदीय,

(सुधीर कुमार श्रीवास्तव)
सचिव।

संख्या- 692 (1)/ अड़तीस-5-2014, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव/निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
12. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0, लखनऊ।
13. निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

D:\2 Joshi\2014\G.K.Shukla\GO-2014.docx